Dr. Gautam Kumar
B.A Part-II
PAPER-III

संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार

(Fundamental Right Granted by the Constitution)

भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गये हैं:-

(i) समानता का अधिकार (अनुच्छेद-14-18)

अनुच्छेद-12- परिभाषा

अनुच्छेद-13- मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियाँ

अनुच्छेद-14- विधि के समक्ष समता

अनुच्छेद-15- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।

अनुच्छेद-16- लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता।

अनुच्छेद-17- अस्पृश्यता का अन्त।

अनुच्छेद-18- उपाधियों का अन्त।

(ii) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद-19-22)

अनुच्छेद-19- विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

अनुच्छेद-20- अपराध की दोषसिद्धि के विषय में संरक्षण।

अनुच्छेद-21- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण एवं निजता का अधिकार।

अनुच्छेद- 21(A) शिक्षा का अधिकार

अनुच्छेद-22- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।

Scanned with CamScanner

(iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

अनुच्छेद-23 - मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध।

अनुच्छेद-24 - कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। (बाल श्रम का निषेध)

(iv) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

अनुच्छेद-25 - अन्तःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद-26 - धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद-27 - धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट।

अनुच्छेद-28 - कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता।

(v) संस्कृति और शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद-29-30)

अनुच्छेद-29 - अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण।

अनुच्छेद-30 - शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।

Scanned with CamScanner

(vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)

अनुच्छेद-32 - इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार।

अनुच्छेद-33 - इस भाग द्वारा अधिकारों का, बलों आदि को लागू होने में रूपान्तरण करने की संसद की शक्ति।

अनुच्छेद-34 - जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बन्धन।

अनुच्छेद-35 - इस भाग के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए विधान।

Scanned with CamScanner